# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-13

## संक्षिप्त कार्य विवरण

### पत्रक भाग-एक

**शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2006 (फाल्गुन 12, 1927)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 98 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

## अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

## 2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य ने रीवा जिले के दुवगंवा स्थित शासकीय तालाब पर अतिक्रमण किये जाने,

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने शाजापुर जिले के लघुंदर बांध के डूब पीडित कृषकों को मुआवजा राशि न दी जाने,

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सगरा थाना अंतर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी 5 वर्षों से तामील नहीं होने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधान सभा अंतर्गत अनेक ग्रामों के मार्गो की हालत जर्जर होने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर,सदस्य ने नागदा तहसील में एस.डी.एम. का पद समाप्त करने से जनता में निराशा होने,

(6) श्री के.डी.देशमुख,सदस्य ने बालाघाट जिले के कटंगी नगर में पट्‌टा धारियों के पट्‌टे का नवीनीकरण नहीं होने, तथा

(7) श्री नानालाल पाटीदार,सदस्य ने मंदसोर जिले में सूखे के कारण लोगों का पलायन होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन्‌ 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखी :-

(1) अधिसूचना क्रमांक 2932/म.प्र.वि.नि.आ./ 2005, दिनांक 5 दिसम्बर,2005

(2) अधिसूचना क्रमांक 3050-म.प्र.वि.नि.आ.- 2005, दिनांक 20 दिसम्बर,2005

(3) अधिसूचना क्रमांक 3051/म.प्र.वि.नि.आ./ 2005, दिनांक 20 दिसम्बर,2005

(4) अधिसूचना क्रमांक 3064/म.प्र.वि.नि.आ./ 2005, दिनांक 21 दिसम्बर,2005.

## 4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण-की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके,इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने प्रदेश के बी.एड. कालेजों द्वारा निर्धारित फीस से अधिक की वसूली किये जाने की ओर राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तुकोजीराव पवार, उच्च शिक्षा, राज्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, श्री राजनारायण सिंह पुरनी, ठा. सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में मारपीट एवं लूट की घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने ग्वालियर जिले में धान खरीदी केन्द्रों पर धान क्रय का भुगतान कृषकों को न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी,नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा श्रीमती सुमन लोधी को पुलिस द्वारा प्रताडित करने एवं शासन द्वारा उस पर कोई उत्तर न दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

(श्री लालसिंह आर्य, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना "भिण्ड जिले के ग्राम दिलीप सिंह पुरा में स्थित पत्थर तोड़ने का कार्य मशीनों से कराये जाने से उत्पन्न स्थिति" प्रस्तुत नहीं हो सकी )

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम घोटी में हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा ग्राम पारडसिंगा, मोहगांव, पिपलानारायणवार एवं बैरागढ़ में हाई स्कूल का भवन बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम सवरनी से भीदोनी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम कोण्डाली में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम मुंगनापार में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ग) ग्राम पेण्डोनी में हाई स्कूल खोले जाने,

(घ) ग्राम भाजीपानी में हाई स्कूल खोले जाने,

(ङ) ग्राम लोनादेही में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(च) ग्राम हिवरा सेनाडवार में हाई स्कूल खोले जाने,

(छ) ग्राम काराघाट कामठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ज) ग्राम पाठई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(झ) ग्राम काराघाट कामठी में हाई स्कूल खोले जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

## 6. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 33 | आदिम जाति कल्याण के लिए चार सौ इकतालीस करोड़, उन्नीस लाख, चौदह हजार रूपये, तथा |
| अनुदान संख्या - 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए तेरह सौ सत्ताईस करोड़, सोलह लाख, चार हजार रूपये |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव क्रमांक |
|---|---|
| मांग संख्या - 33 | 1,3,5 |
| मांग संख्या - 41 | 1,3,4 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

(2) श्री ज्ञान सिंह

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा **(भाषण अपूर्ण)**

**( 1.00 बजे 2.39 बजे तक अन्तराल)**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

**सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.**

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(5) श्री रामलखन शर्मा

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(7) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय
(8) श्री धूल सिंह
(9) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन
(10) श्री बृजेन्द्र प्रताप
(11) श्रीमती शशि ठाकुर
(12) डॉ. शिवराज शाह
(13) श्री दुर्गालाल विजय
(14) श्री आरिफ अकील

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.**

## 6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रेल गाड़ी क्रमांक 3025 अप हावड़ा से भोपाल एवं 3026 डाउन भोपाल से हावड़ा रेल गाड़ी जो साप्ताहिक चलती है, को प्रतिदिन चलाया जावे तथा इस रेल गाड़ी का समय हावड़ा से 22.00 बजे, सिंगरौली से 15.00 बजे तथा भोपाल प्रातः 6.00 बजे पहुंचे एवं वापस भोपाल से 20.00 बजे चलकर सिंगरौली से 11.00 बजे तथा हावड़ा 6.00 बजे पहुंचने का रखा जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री इन्द्रजीत कुमार
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) आरिफ अकील
(5) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इंदौर से मनमाड़ व्हाया खरगोन-सेंधवा रेल लाईन बढ़ाई जावे"तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दल सिंह सोलंकी
(2) श्री ओमप्रकाश पुरोहित
(3) श्री इन्द्रजीत कुमार
(4) श्रीमती अलका जैन

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री अर्जुन पलिया, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि राज्य के किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिये सहकारी क्षेत्र की एवं अन्य बैंकों से दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दरें अन्य उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले गृह ऋण एवं वाहन ऋणों की ब्याज दरों के बराबर करने हेतु युक्ति संगत पहल की जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(2) श्री रामलखन शर्मा
(3) श्री इन्द्रजीत कुमार

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों सहित श्री रामलखन शर्मा एवं श्री अर्जुन पलिया, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

05.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2006 (फाल्गुन 15, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**